

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000
पच्चीस हजार रुपये

Rs.
25000
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



A 598961

For S
CONS

DIRECTOR

Photographed by
Suresh K. Kansal Adm.

आज दिनांक 31-07-2010 ई० को विक्रेता एवं क्रेता के मध्य उक्त बेनामा टाइटल करार कर निष्पादित किया जा रहा है।

किस्म दस्तावेज

- बेनामा ।

भूमि का प्रकार

- आवासीय खाली प्लॉट १ मय बाउन्ड्रीवॉल

वार्ड/परगना

- उत्तरा वार्ड तहसील सदर जिला आगरा ।

मोहल्ला/ग्राम

- जीवनी मण्डी उत्तरा वार्ड मौजा घटवासन ।

सम्पत्ति का विवरण

- एक कित्ता प्लॉट/जायदाद जो नगर निगम नम्

21/269 जीवनी मण्डी मौजा घटवासन का भा

है जिसमे बाउन्ड्रीवॉल हो रही है जिसकी

अधिकतम लागत 27,000/-रुपया है मिनजुमला

खसरा संख्या पुराना 1739/3 व नया खसरा

संख्या 2258 मौजा घटवासन मे स्थित है जिस

कारपोरेशन नं० पुराना 1833 व नया 21/269

For SHREE OM SAINATH
CONSTRUCTION CO. LTD.

DIRECTOR

Neeraj Gaurav

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000
पच्चीस हजार रुपये

Rs.
25000
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

प्रदेश UTTAR PRADESH

- 2 -

A 598960

खुदा
कारी

UR 2010

आगरा

सम्पत्ति का विक्रीत क्षेत्रफल

- 90 वर्गमीटर ।

मापन की इकाई

- वर्गमीटर में ।

सड़क की स्थिति

- 18.28 मीटर चौड़ी

अन्य विवरण

- विक्रीत जमीन पार्क फेस तहदी है। दो रास्ते की होने के कारण जमीन के मूल्यांकन का 10 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्यांकन करते हुए स्टाम्प अदा किया जा रहा है जिस पर कोई निर्माण नहीं है। जिसमे बाउन्ड्रीवॉल है।

प्रतिफल की धनराशि

- 8,19,000/-रुपया ।

सरकारी मालियत

- 8,19,000/-रुपया ।

जमीन की सर्किलरेट

- 8,000/-रुपया प्रति वर्गमीटर। जो कि जारी सर्किल रेट सूची दिनांक 02-09-08ई. श्रीमान सबरजिस्ट्रार महोदय पंचम आगरा के यहाँ भाग 28 का 118 पृष्ठ 6 क्रम 65 कॉलम 5 पर अंकित है।

स्टाम्प देय

- 50,050/-रुपया ।

=====

वाके जीवनी मण्डी मौजा घटवासन छत्ता वार्डतहसील सदर जिला आगरा । प्लॉट/जायदाद के अन्तरण से भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 278 18 का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है। महिला के नाम बेनामा होने पर स्टाम्प 6 प्रतिशत देय है जो कि नियमानुसार अदा किया जा रहा है। विक्रीत जमीन जीवनी मण्डी गौराहे से वाटर वर्क्स की ओर जाने वाले मार्ग के सहारे है।

For SHREE OM SAINATH
CONSTRUCTION PVT. LTD.

By Hand



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-3-

94AA 914641

विक्रेता:- मैसर्स श्री ओम साई नाथ कन्स्ट्रक्शन्स प्रा० लि० 19 एवन अपार्टमेंट
छत्रपति शिवाजी रोड संतोषी माता मंदिर के पास बहानुकर बाड़ी कांदिबली
॥ पश्चिम ॥ मुम्बई डायरेक्टर श्री अमित किशोर वर्मा पुत्र श्री किशोर जगदीश व
निवासी 207/208 बिल्डिंग नं० 40 छत्रपति शिवाजी राजे कॉम्प्लेक्स चारों क
कादम्बली बैस्ट मुम्बई ॥ महाराष्ट्र ॥ इंडिया-400067 — पृथम पक्ष ।

कम्पनी का पैन नं० - A.E.L.P.V. 0914 R
एवं

क्रेता:- श्रीमती नीरज अग्रवाल पत्नी श्री अशोक कुमार अग्रवाल निवासी- ई-21
कमला नगर तहसील सदर जिला आगरा — द्वितीय पक्ष ।
पैन नं० - ए.बी.जे. पी. ई. 0585 ए.

जो कि एक किता प्लॉट/जायदाद जो नगर निगम नम्बरी पुराना 183
व नया नम्बरी 21/269 जीवनी मण्डी छत्ता वार्ड का भाग है तादादी 90 वर्ग
॥ मय बाउन्ड्रीवॉल ॥ जो मिनजुमला छसरा नम्बर पुराना 1739/3 व नया नम्बर

Foi

ONS

TD.

Neeraj Agrawal

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

₹. 10

भारत

TEN
RUPEES

RS. 10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-4-

94AA 914640

2258 में स्थित है। प्लॉट नं० 05 जुज भाग पर बनी जॉन्स मिल की जायदाद ई. एस. मय सर्वेन्ट क्वार्टर मय अहाता जिसका कारपोरेशन नं० 1833 पुराना एवं 21/26 नया स्थित जीवनी मण्डी छत्तावाड़ तहसील व जिला आगरा जिसको कि प्रथम ने खुला एवं खाली भूखण्ड के रूप में क्रय किया कि जिसकी पैमायशी साथ लगे नक्शे दर्शायी गयी है कि जो रंग लाल से साफ तौर पर नक्शे में दर्शाया गया है। जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं:- जिसकी सीमाएँ व पैमायशी इस प्रकार है:-

पैमायशी - पूरब भुजा 39 फीट 2 इंच	उत्तर भुजा 26 फीट 4 इंच
पश्चिम भुजा 34 फीट 2 इंच	दक्षिण भुजा 27 फीट एक इंच

चौहदकी:- पूरब- रास्ता 18.28 मीटर चौड़ा उत्तर- विक्रीत सम्पत्ति का भाग
पश्चिम- विक्रीत सम्पत्ति का भाग दक्षिण- रास्ता 6.09 मीटर चौड़ा

विदित हो कि विक्रेता कम्पनी ने उपरोक्त जायदाद को तादादी 377.25 वर्गमीटर के रूप में वजरिये बैनामा नक्शिता श्रीमती प्यारी बाई पाटनी विधवा स्व० श्री लाल पाटनी से दिनांक 02-02-08ई. को क्रय किया है। जिसकी रजिस्ट्री श्रीमान सबर जिस्ट्रार कार्यालय पंचम आगरा के यहाँ वही नं० एक जिल्द 2044 के पृष्ठ 397/1 पर क्रमांक संख्या 490 पर दिनांक 02-02-08ई. को दर्ज है। बाद उरीवारी के कम्पनी उपरोक्त क्रय की गयी खाली जमीन 377.25 वर्गमीटर की एक मात्र मालिक व स्वाम

[Signature]

[Signature]



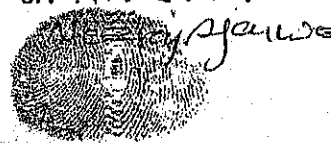
उत्तर प्रदेश, UTTAR PRADESH

-5-

94AA 91,4639

हुई जिसमें से कम्पनी प्रथम पक्ष इस बेनामा द्वारा द्वितीय पक्ष को 90 वर्गमीटर जमीन जिसका कि विवरण ऊपर दिया गया है का विक्रय कर रही है जिसमें विक्रेता कम्पनी एक मात्र मालिक व स्वामी चली आती है। जो कि आज तक हर प्रकार के कर्ज, हर्जे, वारं भार, बन्धक, कुर्की, नीलामी आदि से پاک व साफ है। प्रथम पक्ष के अलावा अन्य कोई हकदार व हिस्सेदार वगैरा किसी प्रकार का नहीं है। प्रथम पक्ष को वास्तुतः जरूरत अपने मिलने माकूल कीमत के उपरोक्त प्लॉट/जायदाद का विक्रय करना मंजूर व स्वीकार है।

लिहाजा प्रथम पक्ष ने अपनी राजी व छुड़ी से खूब सोच व समझकट व विला बट-काये व विला सिखाये व विला दबाव किसी नाजायज के व विला छीये पीये किसी मादक पदार्थ के उपरोक्त प्लॉट/जायदाद को विल एवज मुवलिंग 8,19,000/- आठ लाख उन्नीस हजार रुपया कि आधे जिसके मुवलिंग 4,09,500/- चार लाख नौ हजार पाँच स रुपया होते है मे बदस्त श्रीमती मीरज अगुवाल पत्नी श्री अशोक कुमार अगुवाल उपरोक्त क्रेता द्वितीयपक्ष को बेय कतई किया और बेच दिया तथा कीमत का कुल रुपया प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से वरवक्त बेनामा हाजा समक्ष गवाहों के नगद प्राप्त कर लिया है। प्रथम पक्ष पाना स्वीकार करते है। अब कीमत मजकूर मे से प्रथम पक्ष का द्वितीयपक्ष से विक्रय प्रकार का कुछभी लेना व पाना बाकी नहीं रहा है और ना ही आयंदा होगा।





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-6-

94AA 914638

लिहाजा कब्जा व दखल मालिकाना विक्रीत प्लॉट/जायदाद पर प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष का करा दिया तथा मालिक बना दिया तथा द्वितीय पक्ष को हक व अधिकार है कि वह उपरोक्त प्लॉट/जायदाद पर जिस प्रकारचाहे निर्माण करे व साज सज्जा करे व समस्त प्रकार के कनेक्शन लेवे। व वक्त जरूरत रहन वैय हिवे विक्रय आदि जो चाहे सो करे तथा अपने नाम का नामांकन दर्ज करा लेवे। विक्रीत जमीन नजूल वराज आस्थान की सम्पत्ति नहीं है और ना ही राज्य सरकार द्वारा अधिगृहित किया है और ना ही कोई मुआवजा लिया गया है। और अगर भविष्य में कोई वारिस या दावेदार विक्रेता प्रथम पक्ष का खानदानी या गैर खानदानी या कानूनी किसी प्रकार का उक्त प्लॉट/जायदाद मजकूर में पैदा होकर कोई दावा व झगडा खरीदारा द्वितीयपक्ष से करे और उसकी वजह या किसी वीगर वजह से नुकश कानूनी से जुज या कुल कब्जा खरीदारा द्वितीय पक्षसे निकल जावे तो ऐसी सूरतो में कुल जवाबदेही व जिम्मेदारी प्रथम पक्ष व उनके वारिसानों की होगी ऐसी सूरतो में द्वितीयपक्ष को हक व अधिकार होगा कि वह प्रथम पक्ष व विक्रेता कम्पनी व उनके मेम्बर व वारिसान उन से जात खास चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे वसूल कर लेवे। जिसमे प्रथम पक्ष व उनके वारिसानों को कोई उज्र व मुकदमा नहीं होगा।

For SURETY ON CONTRACT
CONSTRUCTION LTD.

[Signature]

[Fingerprint]

[Signature]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-7-

94AA 914637

लिहाजायह बैनामा लिख दिया कि सनदरहे और समय पर काम आये तहरीरत
31-07-2010ई. व मसौदा सुरेश कंसल एडवोकेट तहसील सदर जिला आगरा।
हाजा दोनो पक्षों के कथनानुसार टंकित किया गया है। दस्तावेज हाजा परचस्प
व हस्ताक्षरों की शनाखत गवाहों ने की है। यह कि दस्तावेज पेश करने की तस्दीक
क्रेता ने वेद प्रकाश गुप्ता पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद को एक रजि० तस्दीक शुदा सु
नामा द्वारा दि० 09-7-10 को दी है जिसकी रजि० वही नं० 6 जिल्द 42 पृष्ठ
276 क्रम 11 को श्रीमान उपनिबं महो० के यहाँ दर्ज है।

For SURESH OM RAINATH
CONSTRUCTION LTD.

[Signature]

DIRECTOR

गवाह प्रकाश चंद्र झा
श्रीमान काका अमर
नि. 3 - श्री अमर सिंह अमर

[Signature]

गवाह विनोद चंद्र झा
नि. 6-13/02 श्रीमान काका अमर

[Signature]

[Signature]

[Signature]
Suresh Kansal
Advocate

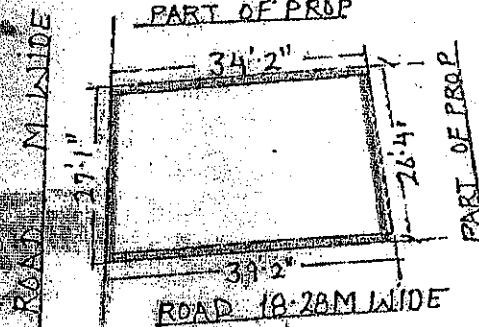
SITE PLAN OF PLOT ON PART OF PROP No 21/269
AT "JEONI MANDI" CHATTA WARD TOLD No 1739/3
NEW KH. No 2258 MAUZA GHATWASAN AGRA

SELLER - SHRI OM SAINATH CONSTRUCTION (P) LTD MUMBAI

PURCHASER - SMT NEERAJ AGARWAL

PLOT AREA -

90.0 SQ MT



Neeraj Agarwal

Amil A. Shetty
CITY PLANNER SURVEYOR (E-1000)
M/DRAFT B/A D.A. BHILAI/ANZ/2003-2004